

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.10.2021

## शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही:-

01. संजय पुत्र करन मोहल्ला कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-323 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही:-

01. सुखराम पुत्र जुड़ावन निरो कुन्जलपुर उपाध्यायपुरवा मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-305 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही:-

01. रतीराम पुत्र विन्द्रा सोनकर निरो सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-341 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही:-

01. सर्वेश निषाद पुत्र प्रहलाद निरो ग्राम पसका बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-287 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 12.10.2021**

**जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—:**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्तों— 01. साहिल सिंह, 02. नीरज कुमार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने आज दिनांक 12.10.2021 को वादी हनुमान प्रसाद कशौधन पुत्र गंगोत्री प्रसाद कशौधन नि० रानी बाजार थाना को० नगर जनपद गोण्डा की पान सिगरेट की दुकान पर सिगरेट खरीदने व पैसे के लेनदेन को लेकर वादी के लड़कों को जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—:**

01. साहिल सिंह पुत्र सुनील सिंह नि० गायत्रीपुरम कालोनी सिविल लाइन थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. नीरज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नि० नैय्यर कालोनी सिविल लाइन थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—:**

01. मु०अ०सं०—७७७/२१, धारा ३०७,३२४,५०४,५०६,३४ भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—:**

उ०नि० अश्वनी कुमार दुबे मय टीम।